

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंकमुकाम टोंक व अलजाम डॉ.सूरजसिंह नेगी, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशितशिवप्रताप पुत्र सी.एल. जाति गुर्जर निवासी आनन्दपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर राज0
वादी**बनाम**

1. बबलू कुमार मीना पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी मलाराना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर राज0
2. जैल्या पुत्र छीतर जाति मीना, निवासी ग्राम अहमदपुरा, तहसील व जिला टोंक
3. रामफूली पत्नी किशना जाति मीना निवासी अहमदपुरा तहसील व जिला टोंक
4. आत्माराम पुत्र किशना जाति मीना निवासी अहमदपुरा तहसील व जिला टोंक
5. साबू पुत्र किशना जाति मीना निवासी अहमदपुरा तहसील व जिला टोंक
6. पप्पूलाल पुत्र किशना जाति मीना निवासी अहमदपुरा तहसील व जिला टोंक
7. कमलेश पुत्र किशना जाति मीना निवासी अहमदपुरा तहसील व जिला टोंक
8. जानकी पुत्री किशना जाति मीना निवासी अहमदपुरा तहसील व जिला टोंक
9. मौसमी पुत्री किशना जाति मीना निवासी अहमदपुरा तहसील व जिला टोंक
10. रेशमा उर्फ खुशबू पुत्री किशना जाति मीना निवासी अहमदपुरा तहसील व जिला टोंक
11. दूला पुत्र भूरा जाति मीना निवासी अहमदपुरा तहसील व जिला टोंक
12. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई. सी.आई. बैंक शाखा टोंक
13. तहसीलदार, टोंक

प्रतिवादीगण

उपस्थित-श्री नवीन चौधरी-वकील वादी

दावा बाबत- तकासमा आराजियातदावा नं० 41/2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रुबरू वकील प्रतिवादी मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री जारी जाती है कि दावा वादी तकासमा रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारो के मध्य संलग्न स्टाम्प अनुसार भूमि रहेगी। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 4.9.2017 को जारी किया गया।

(डॉ.सूरजसिंह नेगी)

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहन	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीशान			मिजान		

नोट:-इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

टोंक (राज०)